भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2605
जिसका उत्तर 7 अगस्त, 2024 को दिया जाना है ।
16 श्रावण, 1946 (शक)

सोशल मीडिया मध्यस्थों द्वारा शिकायत निवारण

2605. श्री बसवराज बोम्मईः
श्रीमती स्मिता उदय वाघः

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रमुख सोशल मीडिया मध्यस्थों ने नई शिकायत निवारण प्रणाली का अनुपालन कर लिया है; और
(ख) यदि हां, तो गत वर्ष शिकायत अपीलीय समितियों द्वारा कितने मामले दर्ज किए गए और निपटाए गए?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख): सरकार ने संबंधित हितधारकों के साथ व्यापक सार्वजनिक परामर्श के बाद 25.02.2021 को सूचना प्रौद्योगिकी (माध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 ("आईटी नियम, 2021") अधिसूचित किए हैं, जिन्हें बाद में दिनांक 28.10.2022 और दिनांक 6.4.2023 को संशोधित किया गया। आईटी नियम, 2021 सुरक्षित और विश्वसनीय इंटरनेट के प्रति अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये महत्वपूर्ण सोशल मीडिया माध्यस्थों सहित माध्यस्थों पर विशिष्ट कानूनी दायित्व डालते हैं।

अपनी स्थापना के बाद से 1 मार्च, 2023 से 30 जून 2024 तक शिकायत अपीलीय समितियों द्वारा दायर और निपटाए गए मामलों की संख्या इस प्रकार है:

- दायर मामले: 1,065
- निपटाए गए मामले: 937

*****